

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई  
(ऑर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम रियांबड़ी  
पीठासीन अधिकारी- सुरेश कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या - 85/2022

वादी - घेवरराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी जसनगर, तहसील रियांबड़ी  
जिला नागौर राज0

बनाम

- प्रतिवादीगण-
1. अमराराम पुत्र उरजाराम (फौत के कायम मुकाम)
  - 1/1. पाचीदेवी पुत्री अमराराम
  - 1/2. बिदामी पुत्री अमराराम (फौत के कायम मुकाम)
  - 1/2/1. श्रवणराम पुत्र बिदामी (फौत के कायम मुकाम)
  - 1/2/1/1. मंजूदेवी पत्नी श्रवणराम
  - 1/2/2. बुधाराम पुत्र अमराराम (फौत के कायम मुकाम)
  - 1/3/1. पप्पूदेवी पत्नी बुधाराम
  - 1/3/2. पूजा पुत्री बुधाराम
  - 1/3/3. रिकू पुत्री बुधाराम
  - 1/3/4. दीपक पुत्र बुधाराम
  2. कालुराम पुत्र रूपाराम
  3. कालीदेवी पुत्री रूपाराम
  4. चन्दादेवी पत्नी धारूराम
  5. छोटूराम पुत्र धारूराम
  6. पुखराज पुत्र धारूराम
  7. पन्नालाल पुत्र धारूराम
  8. तीजादेवी पुत्री रूपाराम
  9. पप्पूदेवी पुत्री रूपाराम
  10. पांचाराम पुत्र गुदड़राम
  11. बगसाराम पुत्र शिवकरण
  12. बंशीराम पुत्र गुदड़राम
  13. मैनादेवी पत्नी रूपाराम
  14. मांगूराम पुत्र शिवकरण
  15. सुखाराम पुत्र गुदड़राम
  16. अमराराम पुत्र रावतराम (फौत के कायम मुकाम)
  - 16/1. दुलाराम पुत्र अमराराम
  - 16/2. ओमाराम पुत्र अमराराम
  - 16/3. बाबुलाल पुत्र अमराराम (फौत के कायम मुकाम)
  - 16/3/1. सुशील पुत्र बाबुलाल
  17. इन्द्रादेवी पुत्री शंकरलाल
  18. कालुराम पुत्र हीराराम
  19. गेन्दादेवी पत्नी हीराराम (फौत के कायम मुकाम प्रति0 सं0 18 व 20)
  20. चेनाराम पुत्र हीराराम
  21. पुरखाराम पुत्र हजारीराम (फौत के कायम मुकाम)

- 21/1. भंवरूराम पुत्र पुरखाराम  
 21/2. आशाराम पुत्र पुरखाराम  
 22. प्रेमप्रकाश दत्तक पुत्र सुगनाराम  
 23. महेन्द्र पुत्र शंकरलाल  
 24. बाजुदेवी पुत्री छोटूराम सभी जाति जाट निवासीगण जसनगर तहसील रियांबड़ी जिला नागौर।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 86/2022

वादी - घेवरराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी जसनगर, तहसील रियांबड़ी जिला नागौर राज0

बनाम

प्रतिवादीगण- 1. अमराराम पुत्र उरजाराम (फौत के कायम मुकाम)

1/1. पाचीदेवी पुत्री अमराराम वगैराह 39

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 144/2022

वादीगण - 1. सुखाराम पुत्र गुदड़राम

2. पांचाराम पुत्र गुदड़राम जाति जाट निवासी जसनगर तहसील रियांबड़ी।

बनाम

प्रतिवादीगण- 1. बंशीराम पुत्र गुदड़राम जाति जाट निवासी जसनगर तहसील रियांबड़ी वगैराह 45

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू पक्षकारान व हाजरी वादी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व

वाद वादी माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण किया जाकर राजस्व ग्राम जसनगर के खसरा नंबर 1791 रकबा 0.6100 हैक्टेयर, खसरा नं. 1792 रकबा 0.7200 हैक्टेयर, खसरा नं. 1793 रकबा 1.3200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1794 रकबा 2.0500 हैक्टेयर, खसरा नं. 1795 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नं. 1796 रकबा 1.9300 हैक्टेयर, खसरा नं. 1798 रकबा 0.7300 हैक्टेयर, खसरा नं. 1799 रकबा 0.7700 हैक्टेयर, खसरा नं. 1803 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, खसरा नं. 1804 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नं. 1805 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नं. 1806 रकबा 1.1300 हैक्टेयर, खसरा नं. 1807 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, खसरा नं. 1808 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, खसरा नं. 1809 रकबा 0.7800 हैक्टेयर, खसरा नं. 2232 रकबा 0.7700 हैक्टेयर, खसरा नं. 2233 रकबा 0.3100 हैक्टेयर, खसरा नं. 2234 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, खसरा नं. 2235 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नं. 2236 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, खसरा नं. 2238 रकबा 1.0700 हैक्टेयर, खसरा नं. 2239 रकबा 0.3200 हैक्टेयर,


हैक्टैयर, खसरा नं. 2240 रकबा 0.9700 हैक्टैयर खसरा नम्बर 2556 रकबा 0.10  
 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 2557 रकबा 0.15 हैक्टैयर खसरा नम्बर 2481 रकबा 1.62  
 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 2532 रकबा 0.43 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 2542 रकबा 0.20  
 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 2545 रकबा 0.31 हैक्टैयर खसरा नम्बर 265 रकबा 0.36 हैक्टैयर  
 खसरा नम्बर 203 रकबा 0.83 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.85 हैक्टैयर, खसरा  
 नम्बर 2544 रकबा 0.36 हैक्टैयर खसरा नम्बर 270 रकबा 0.35 हैक्टैयर हैक्टैयर खसरा  
 नम्बर 2558 रकबा 0.15 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 2559 रकबा 0.24 हैक्टैयर, खसरा नम्बर  
 2560 रकबा 0.20 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 2561 रकबा 0.20 हैक्टैयर, खसरा नंबर 2547  
 रकबा 0.13 हैक्टैयर खसरा नंबर 269 रकबा 0.40 हैक्टैयर, खसरा नंबर 1788 रकबा 10.  
 03 हैक्टैयर भूमि का पक्षकारान खातेदारान के मध्य बंटवाड़ा प्रस्ताव में वर्णित अनुसार  
 बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा स्वीकृत किया जाकर खातेदार घोषित किये जाते है।  
 इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में पृथक-पृथक खसरा, रकबा, लगान कर कायम किया  
 जावे। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर खातेदारी दर्ज की  
 जावे। बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय एवं डिक्री पर्चा का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....मुबलिंग.....बाबत.....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व भारह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से  
तारीख वसूलीयाबी तक .....को अदा करें।

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 17/02/25 को जारी की गई।


मुहर

  
 दस्तखत  
 उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी  
 जिला - नागौर

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा	शून्य	-	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	-
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमि नर		
फीस कमि नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मौजान		
मौजान					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

मुहर

  
 दस्तखत  
 उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी  
 जिला - नागौर